कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– PA/TAE/D:- 357 दिनांकः– 22/9/17

बैठक कार्यवाही विवरण

सार्वजनिक निर्माण विभाग के संवेदको की मांगो के सम्बन्ध में आज दिनांक 22.09.2017 को 11.30 बजे श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में विभाग के मुख्य अभियंता, प्रबन्धक निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी. एवं ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्टर ऐसोशिशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में संवेदकों की जी.एस.टी. एक्ट के सम्बन्ध में एक्ट लागू होने से पुराने कार्यो पर जी.एस.टी. राशि का भुगतान करने, एक्ट लागू होने के बाद जारी निविदाओं के कार्यो के भुगतान में जी.एस.टी. की राशि जोडने हेतु, तथा 75 लाख सालाना टर्न ऑवर वाले संवेदको को जी.एस.टी. की रिटर्न फाईल करने की बाध्यता से मुक्त करने इत्यादि मांगों को विभाग की अनुशंषा के साथ वित विभाग को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव सा.नि.वि., राज. जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्टर ऐसोसियशन के पदाधिकारियों के साथ सायं 3.30 बजे पुनः बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी एवं संवेदक प्रतिनिधि उपस्थित थेः–

1 मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
2 प्रबन्धक निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.सी., जयपुर।
3 श्री किरोडी मोदी, कार्यकारी अध्यक्ष ऑल राज. कॉन्ट्रेक्टर ऐसोसियशन।
4 श्री बी.एस.राव,संयोजक, ऑल राज. कॉन्ट्रेक्टर ऐसोसियशन।
5 श्री सुनील गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऑल राज. कॉन्ट्रेक्टर ऐसोसियशन।
6 श्री बलदेव पनिया, श्री भंवर लाल कुमावत, श्री भूराराम चौधरी, श्री टोडरमल, श्री योगेश चौधरी, श्री अंजन कुमार, श्री रामसिंह शेखावत एवं श्री कमलेश शर्मा, प्रतिनिधि ऑल राज. कॉन्ट्रेक्टर ऐसोसियशन।

विभिन्न मांगो पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाने की सहमति हुईः–

1. मांग संख्या 1 के अनुसार 10 लाख के कार्यो के स्थान पर 25 लाख से उपर के कार्यो पर डीएलपी की मांग के संबंध मे विभाग, मांग संख्या 4 में एस. डी. की राशि प्रथम वर्ष के पश्चात 25 प्रतिशत द्वितीय वर्ष के पश्चात 25 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष के पश्चात शेष 50 प्रतिशत की राशि लोटाने के संबंध में, मांग संख्या 7 में पोटेनशियल बिड, प्री–क्वालिफिकेशन बिड तथा पोस्ट क्वालिफिकेशन बिड के मापदण्ड बदलने, मांग संख्या 9 में शिड्यूल ऑफ पावर में विरोधाभास (Discrepency) को दूर करने तथा मांग संख्या 11 के अनुसार बिजली के कार्यो की डी.एल.पी. 2 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष किये जाने के संबंध में, इन सभी मांगो को विभाग की अनुशंषा के साथ वित विभाग को प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही वार्ता के दौरान संयुक्त उद्यम(Joint Venture) का मुद्दा आने पर 10 करोड अथवा अधिक के कार्यो में संयुक्त

उद्यम(Joint Venture) की अनुमति दिये जाने हेतु प्रकरण भी वित विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

2. मांग संख्या 2 के अनुसार विभाग द्वारा विभिन्न कार्यो को पूर्ण करने के लिये दिये जाने समय सीमा के सम्बंध में जारी आदेश दिनांक 3.9.2008 को सामान्यतया पालन किये जाने हेतु सभी कार्यालयों को पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया ।

3. मांग संख्या 3 के अनुसार सभी राज्य कार्यो पर आर.पी.डब्ल्यू. – 100 अनुबन्ध ही उपयोग में लिये जाने का सभी कार्यालयों को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया ।

4. मांग संख्या 5 के अनुसार निविदाओं में अधिकतम रूप से एक तहसील के कार्यो का एक पेकेज बनाने तथा अधिकतम 7 करोड की अनुमानित लागत के पेकेज बनाने हेतु सभी कार्यालयों को निर्देशित करने का निर्णय किया गया।

5. मांग संख्या 6 के अनुसार अनबैलेन्स बिड (Unbalance Bid) की राशि को कम कर 40 प्रतिशत करने के लिये अनुशंषा सहित प्रकरण प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किये जाने की सहमति दी गई।

6. मांग संख्या 8 के अनुसार आर.आर.एस.एम.पी. एवं पी.एम.जी.एस.वाई. में संवेदकों को सड़को की रख रखाव के भुगतान हेतु मुख्य अभियन्ता पी.एम.जी.एस.वाई. को निर्देशित किया जायेगा ।

7. मांग संख्या 10 के अनुसार कार्यो के मासिक भुगतान की व्यवस्था करने हेतु सभी अधिनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया ।

8. मांग संख्या 12 के अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त करने की अभिशंषा के साथ प्रशासनिक विभाग को प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की सहमति दी गई।

9. मांग संख्या 13 के अनुसार मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 30.09.2016 एवं 18.10.2016 विसंगतियों को दूर करने की कार्यवाही हेतु सहमति दी गई।

10. मांग संख्या 14 के अनुसार खनिज विभाग द्वारा जारी नियमों में जटिलताओं के सरलीकरण हेतु श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि. की ओर से श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खनिज विभाग को अर्द्धशाषकीय पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया ।

श्रीमान मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने की सहमति दिये जाने पर ऑल राज. कॉन्ट्रेक्टर ऐसोसियशन द्वारा निविदाओं के बहिष्कार समाप्ति की घोषणा की गई।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव,
सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।